

# अध्याय 5:

## अधिप्राप्ति



### 5.1 अधिप्राप्ति कार्यविधि

रक्षा अधिप्राप्ति कार्यविधि, स्वदेशी नौसेनिक पोतनिर्माण प्रक्रिया के संबंध में एक पृथक अध्याय का प्रतिपादन करती है, क्योंकि यह सोचा गया कि नौसेना पोत निर्माण पूँजीगत तथा प्रौद्योगिकी-प्रधान कार्य होने से अधिप्राप्ति के 'बाई' 'बाई और मेक' 'मेक' में से किसी भी एक सामान्य श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि पोत डिज़ाइन और निर्माण की प्रक्रिया में यह सभी तत्व विद्यमान हैं। अतः स्वदेशी डिज़ाइन/निर्माण द्वारा नौसेनिक और तट रक्षक पोतों के अधिग्रहण हेतु एक पृथक कार्यविधि की आवश्यकता पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया।

विकासाधीन या सेवा में पहले से विद्यमान स्वदेशी शस्त्र और संबद्ध सेंसरों के साथ-साथ, आयातित शस्त्र और सेंसर, जो पूर्ववर्ती प्लेटफार्म पर विद्यमान है और जो संतोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं तथा नए आयातों की अधिप्राप्ति, पोतप्रांगण द्वारा रक्षा मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जा रही हैं। सभी प्रांगण सामग्री, उपस्कर और संबद्ध फिटिंग तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति रक्षा उत्पादन विभाग के स्वीकृत मार्गनिर्देशों के अनुसार होना है। पोतप्रांगणों द्वारा की गई सामग्रियों की अधिप्राप्ति में मितव्ययिता और दक्षता की जाँच का लेखापरीक्षा ने प्रयास किया। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अदक्षता के कारण निर्माण पर प्रभाव पड़ने के अलावा उपस्कर की लागत पर भी परिणामी प्रभाव पड़ा। पोतप्रांगण को देय 7.5 प्रतिशत लाभ तत्व की वृद्धि से कुल प्रोजेक्ट लागत में भी वृद्धि हुई।

पोतप्रांगण प्रारंभ में निर्माण योजना के तहत एक उपस्कर आदेश अनुसूची तैयार करता है और उत्पादन निदेशालय (डी.एन.डी.) से उपस्कर हेतु आदेशार्थ अनुदेशों (ओ ई) की आवश्यकता दर्शाता है। वास्तविक उपस्कर अधिप्राप्ति प्रक्रिया नौसेना स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं (एन एस क्यू आर) के साथ शुरू होती है तथा उसी के आधार पर संबंधित व्यावसायिक निदेशालय (डी एम ई/डी ई ई/डी डब्ल्यू ई/डी एन ए) तकनीकी आवश्यकताओं के विवरण (एस ओ टी आर) तैयार करता है। व्यावसायिक निदेशालय तकनीकी आवश्यकताओं के विवरण के साथ विक्रेताओं की लघुसूची उत्पादन निदेशालय को जारी करते हैं, जो बाद में उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए पोतप्रांगण को आदेशार्थ अनुदेश जारी करता है। विक्रेताओं की लघुसूची बनाने और उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शक तत्व निम्नलिखित हैं:

- ❖ प्रमाणित उपस्कर का मानकीकरण
- ❖ प्रमाणित उपस्कर के निष्पादन की विश्वसनीयता
- ❖ आत्म-निर्भरता/स्वदेशीकरण

उपस्कर/प्रणालियों के चयन और अधिप्राप्ति से संबंधित समस्याएँ, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

## 5.2 अधिप्राप्ति में समस्याएँ

### नौसेना द्वारा विक्रेताओं का नामांकन

जैसे ऊपर स्पष्ट किया गया है, नौसेना विभिन्न उपस्कर, शस्त्र और संसरो के लिए विक्रेताओं का नामांकन करती है तथा पोतप्रांगण, बाद में, विक्रेताओं से उन्हें अधिप्राप्त करता है। यह प्रक्रिया प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित और पारदर्शिता को कम करती है। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 98 बड़ी अधिप्राप्तियाँ, जिनमें प्रत्येक अधिप्राप्ति का मूल्य एक करोड़ रूपए से अधिक और कुल लागत 5869.85 करोड़ रूपए थी, में यह देखा गया कि 50 मामलों में, नौसेना द्वारा पी ए सी<sup>1</sup> जारी किया गया। इन 50 मामलों में, मैसर्ज़ बी ई एल को 25 मामलों में पी ए सी का दर्जा दिया गया। इन 25 अधिप्राप्तियों में से 14 मामलों में, जिनमें 1525.10 करोड़ रूपए मूल्य की अधिप्राप्ति सम्मिलित रही तथा विदेशी मुद्रा घटक 480.01 करोड़ रूपए था (औसत 31.47 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को पी ए सी दर्जा प्रदान करने हेतु जिस प्रक्रिया का पालन किया गया, उसमें बहुत कमियाँ थीं, क्योंकि पी ए सी प्रदान करने से पूर्व सामान्यतः किसी खुली निविदा प्रणाली का पालन नहीं किया गया। किसी विक्रेता को पी

<sup>1</sup> एकल स्वामित्व प्रमाण पत्र

ए सी दर्जा देना इसलिए अयथार्थवादी होगा कि इस संबंध में कोई तर्कसंगत आश्वासन नहीं है कि समान शस्त्र/सेंसर/उपस्कर के लिए स्वदेश या विदेश में कोई अन्य उत्पादक/आपूर्तिकर्ता उपलब्ध नहीं है।

शेष 48 अधिप्राप्तियों के मामलों में अनेक विक्रेताओं का नामांकन है, जबकि 30 मामलों में (62.5 प्रतिशत) नामांकन दो विक्रेताओं तक सीमित हो गया, 17 मामलों में (35 प्रतिशत) तीन से पांच फर्मों का नामांकन था और केवल एक ही मामले में पांच से अधिक विक्रेताओं पर विचार किया गया। इस प्रकार यह प्रकट है कि बड़ी अधिप्राप्तियों के 98 मामलों में से 80 मामलों में, केवल एक या दो विक्रेता ही थे। खुली निविदा प्रक्रिया के अभाव में, एक या दो विक्रेताओं के आधार पर इतने अधिक मामलों में पूर्ति आदेश देने से अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जबाबदेही का अभाव प्रकट हुआ और यह अपर्याप्त विक्रेता आधार एवं प्रतिस्पर्धा का सूचक था।

अधिप्राप्ति में पारदर्शिता का अभाव, अधिप्राप्ति की लागतों को नियंत्रित करने का अपर्याप्त प्रयास, संयुक्त आदेशों द्वारा सापेक्ष मूल्य पद्धति के अर्थशास्त्र का लाभ न उठाया जाना, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति अनाधिरोपण और खराब विक्रेता प्रबंध के मामले पाए गए। विवरण निम्नवत है:

### उदाहरण 1 - प्रतिस्पर्धा का अभाव


नौसेना ने जनवरी 2005 में रूस के मैसर्ज एवरोरा कॉर्पोरेशन से पी 15 क पोतों हेतु सहायक नियंत्रण प्रणाली<sup>2</sup> की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन किया। समानता और मानकीकरण के आधार पर एकल स्रोत से अधिप्राप्ति का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि पोत की नोदन प्रणाली भी उसी फर्म से अधिप्राप्त की गई थी। अगस्त 2007 में जब मूल्य संबंधी बोली खोली गई तो पाया गया कि 31 करोड़ रुपए के अनुमान के प्रति विक्रेता ने 210 करोड़ रुपए का मूल्य बताया था। पोतप्रांगण के आग्रह पर, पुनः निविदा देने के लिए नौसेना सहमत हुई तथा चार और विक्रेताओं को बताया। मूल्य संबंधी बातचीत के आधार पर, एम डी एल ने दिसंबर 2008 में 30.89 करोड़ रुपए की कुल लागत पर बी एच ई एल- एवियो को आदेश दिया। संयोगवश, दूसरी बोली में मैसर्ज एवरोरा द्वारा बताया गया मूल्य 114.8 करोड़ रुपए था।

इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा के कारण लागतों में कमी हुई। मानकीकरण एक तर्क के लिए तो महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रणाली की आवश्यकताओं का मानकीकरण किया जाना है तथापि, सदैव एक स्रोत/एक स्वामित्व अधिप्राप्ति करना आवश्यक नहीं है। विडंबना यह है कि ऐसे नामांकन से हमेशा शीघ्र अधिप्राप्ति नहीं होती। इस मामले में, तकनीकी चर्चाएं, पुनः निविदा देना आदि के कारण प्रणाली के लिए आदेश देने की प्रक्रिया में लगभग 24 महीनों तक का विलंब हुआ।

<sup>2</sup> ए सी एस का उद्देश्य पोतों की सहायक यंत्रावली पोत प्रणालियां और नाभिकीय, जैविक, रासायनिक क्षति नियंत्रण तथा अग्निशमन प्रणाली, युद्ध क्षति नियंत्रण प्रणाली का केंद्रीयकृत नियंत्रण एवं परिवीक्षा प्रदान करना है।

## उदाहरण 2 - समान अवसर का अभाव

नौसेना ने पी 15 क पोतों के लिए बो सोनार डॉम<sup>3</sup> (बी एस डी) की आपूर्ति हेतु तीन फर्मों को नामित किया। यद्यपि, उपस्कर हेतु आवश्यकताओं के विवरण (एस ओ आर) नें दर्शाया था कि डॉम को शून्य गतिपर स्वतंत्र रूप से कार्यवाहक भार को सहन करना होगा, तथापि के पी ए सहित वास्तविक आघात दाब को उसमें विनिर्दिष्ट नहीं किया गया। पोतप्रांगण ने सितंबर 2004 में निविदाएं जारी की जिसके लिए इटली के मैसर्ज एटलस इलैक्ट्रॉनिक तथा मैसर्ज डब्ल्यू एवं जे टॉड लिमिटेड नामक दो फर्मों ने जबाव दिया। चूंकि दोनों फर्मों ने आघात भार के लिए 210 के पी ए और 500 के पी ए के भिन्न विनिर्देशों<sup>4</sup> का प्रयोग किया था, तकनीकी वार्तालापों के दौरान, नौसेना ने दोनों फर्मों को आश्वासन दिया कि वह सही आघात भार की पुष्टि बाद में करेगी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि दोनों फर्मों को तकनीकी योग्यता प्राप्त थी, परंतु इसकी पुष्टि की सूचना नहीं दी गई। फर्मों ने अपने वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए और फर्म 'क' एल 1 बना, क्योंकि उसका प्रस्ताव कम अघात भार वाला था। इसमें एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक निहितार्थ था। तदनुसार, सितंबर 2006 में 2.35 मिलियन यूरो (12.60 करोड़ रूपए 53.63 रूपए प्रति यूरो के हिसाब से) की लागत पर फर्म 'क' को आदेश दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी 28 पोतों हेतु समान उपस्कर की अधिप्राप्ति के समय, फर्म 'ख' को कम अघात भार के साथ क्वोट प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और इस प्रकार फर्म 'क' के साथ स्पर्धा करते हुए एल 1 बना। फर्म 'ख' ने जुलाई 2006 में पी 15 क पोतों हेतु 0.886 मिलियन पाउंड ( 6.95 करोड़ रूपए- 78.42 रूपए प्रति पाउंड के हिसाब से) के उसी मूल्य पर एम डी एल को उपस्कर की आपूर्ति करने का



बो सोनार डॉम

<sup>3</sup> सामासिक सामग्री से बना एक यौगिकीकृत पोतखोल उपस्कर, जो कुल पोत प्रतिरोध को कम करने में सहायता करता है, नोदक दक्षता और विवर निष्पादन में वृद्धि करता है। यह सोनार ट्रान्स्ड्यूसर एवं जलातर टेलिफोन को भी टेक देता है।

<sup>4</sup> फर्म 'क' ने 210 के पी ए आघात भार को ध्यान में रखकर मूल्य बताया था, जबकि फर्म 'ख' ने 500 के पी ए भार के साथ मूल्य बताया।

प्रस्ताव भी किया। तथापि, नौसेना ने इस प्रस्ताव की उपेक्षा की और इसके परिणामस्वरूप 5.65 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। उत्तर में, नौसेना ने बताया कि भार का अनुमान लगाने के लिए दोनों फर्मों को समान तकनीकी प्राचल प्रदान किए गए। दोनों फर्मों ने भिन्न डिज़ाइन उपगमन तथा भार प्रयुक्ति पद्धतियों का अनुसरण किया। नौसेना का यह मत तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दोनों बोली दाताओं को पी 15 क की अधिप्राप्ति में अघात भार के संबंध में कोई पुष्टि नहीं दी गई।

### उदाहरण 3 - सापेक्ष मूल्य पद्धति का अर्थशास्त्र

भारतीय नौसेना अपने विभिन्न पोतों पर आरोही उपस्करों में समानता बनाए रखना चाहती है। वस्तुतः वित्तीय विवेक की मांग है कि नौसेना इन उपस्करों की अधिप्राप्तियों में पोतप्रांगणों के साथ समन्वय स्थापित करें। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऐसा कोई समन्वय विद्यमान नहीं था।

क्रम संख्या	उपस्कर	विक्रेता	प्रोजेक्ट	लागत (करोड़ रूपए में )	अभ्युक्तियां
1.	स्वदेशी सॉकेट लांचर (आई आर एल) और टॉरपीडो ट्यूब लांचर (आई टी टी एल)	एल एंड टी	पी28 और पी15क	125.30	भारतीय नौसेना के सभी नवनिर्मित पोतों पर फिटमेंट हेतु इस उपस्कर पर विचार किया जा रहा है। एम डी एल और जी आर एस ई ने छः महीनों की अवधि के भीतर आई आर एल तथा आई टी टी एल की आपूर्ति हेतु पृथक से एल एंड टी को क्रयादेश दिया और इससे संयुक्त मूल्य वार्तालापों से मिलनवाले लाभ को खो दिया।
2.	एल वाई एन एक्स यू 1	बी ई एल	पी28	400.00	नौसेना में पहले से सक्रियात्मक गोदावरी श्रेणी को तीन पोतों और पी 28 पोतों पर इस उपस्कर को संस्थापित किया जाना था। प्रथम पोत के लिए दो आदेशों की कीमतों में भिन्नता के साथ मूल्य संबंधी बातचीत छः महीनों के अंदर पृथक से की गई, फलस्वरूप प्रत्येक पोत सेट के लिए नौसेना की 0.76 करोड़ रूपए से अधिक पर अधिप्राप्ति हुई और तीन पोत सेटों के लिए कुल 2.28 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई।

3.	रिंग लेसर गायरोस	सेगम	पी15 क, पी17 और पी28	78,46,981 यूरो	एम डी एल जीआर एस ई और भारतीय नौसेना द्वारा पृथक से किए वार्तालापों से निर्धारित मूल्य, शर्त और निबंधन आदि के परिणामस्वरूप 6,22,284 यूरो (3.47 करोड़ रूपए-55.87 रूपए प्रति यूरो के हिसाब से) की हानि हुई।
4.	सी सी एस एम के III	बी ई एल	पी28	115.00	भारतीय नौसेना और जी आर एस ई द्वारा पृथक से आदेश दिए गए। जी आर एस ई ने 5.79 करोड़ रूपए के उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ नहीं उठाया।

केवल उपरोक्त मामलों से लगभग 10.29 करोड़ रूपए तक के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का पता चला, जहाँ संयुक्त मूल्य वार्तालापों से अधिप्राप्ति में अधिक प्रतियोगी मूल्यों के लिए अवसर प्राप्त होते।

#### उदाहरण 4 - कमजोर विक्रेता प्रबंधन

लेखापरीक्षा में खराब विक्रेता प्रबंधन के निम्नलिखित मामले देखे गए। कुल मिलाकर, इन संविदाओं का मूल्य लगभग 275 करोड़ रूपए था।

#### मामला I: पी15 क प्रोजेक्ट में शाफ्ट लाइन सिस्टम की आपूर्ति में विलंब

स्टाफ आवश्यकताओं के अनुसार, पी 15 क पोतों में पी 15 पोतों वाले नोदकों सहित एक शाफ्ट लाइन सिस्टम को फिट किया जाना था। निविदा देने के पश्चात, अप्रैल 2003 में 13.42 मिलियन यू एस डालर की कुल लागत पर तीन पोत सेटों के लिए एल1 फर्म युकेन के मैसर्ज चर्नोमोस्की ज़ावोड (यू एस ई) को एक आशय पत्र जारी किया गया। इन पोत सेटों की सुपुर्दगी मार्च 2005, मार्च 2006 तथा मार्च 2007 में की जानी थी। प्रबंधन में परिवर्तन के कारण, फर्म ने जून 2004 में संविदा का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि, एम डी एल ने जोर दिया कि फर्म अपने संविदागत उत्तरदायित्वों का पालन करें, यद्यपि नौसेना ने एम डी एल को जून 2004 में मैसर्ज एफ एस यू ई रोसोबारोन एक्सपोर्ट (आर ओ ई) के प्रस्ताव के पुनर्विधायकता का पता लगाने की सलाह दी। यद्यपि एम डी एल ने अगस्त 2004 में मैसर्ज एफ एस यू ई रोसोबारोन एक्सपोर्ट को निविदा का अग्रगण्य किया, और उनका तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव अक्टूबर 2005 में प्राप्त हुआ। परंतु अप्रैल 2005, जनवरी 2006 तथा अप्रैल 2006 की प्रोजेक्ट संवीक्षा समिति नियंत्रक की बैठकों के दौरान दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके स्थान पर, एम डी एल ने यू एस ई के साथ चर्चाएं जारी रखीं और 17 प्रतिशत की वृद्धि हेतु फर्म के अनुरोध के प्रति, एम डी एल द्वारा जनवरी 2005 में दस प्रतिशत की वृद्धि

प्रदान की गई। फिर भी, फर्म आपूर्ति नहीं कर सकी और अंत में, मार्च 2006 में शाफ्ट संबंधी कार्य पूरा किए बिना पोत को जलावतीर्ण किया गया तथा अंततोगत्वा, अगस्त 2006 में एम डी एल ने संविदागत शर्तों व निबंधनों के अनुपालन न करने का कारण बताकर संविदा को निरस्त किया। अप्रैल 2006 में मैसर्ज आर ओ ई से ड्राफ्ट अनुपूरक समझौता प्राप्त करने के पश्चात्, अक्टूबर 2006 में 20.40 मिलियन यू एस डालर की लागत पर उस पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार, विक्रेता को बदलने संबंधी निर्णय लेने में विलंब के कारण पहले पोत में लगभग एक वर्ष और तीन महीने का विलंब हुआ परिणामस्वरूप संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि हुई।

### **मामला II: वातानुकूलन तथा संवातन उपकरणों की आपूर्ति में विलंब**

जनवरी 2006 में, 2.65 मिलियन जी बी पाउंड की लागत पर पी 17 श्रेणी के प्रत्येक पोत के लिए वातानुकूलन और संवातन उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन एवं चालूकरण हेतु योर्क मरीन सिस्टम यू के को क्रयादेश जारी किये गये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि फर्म ने सितम्बर 2006 तथा जनवरी 2007 की सुपुर्दगी समयसूची का पालन नहीं किया। दिसंबर 2006 और फरवरी 2007 की संशोधित समयसूची का भी पालन नहीं किया गया तथा दिसंबर 2009 तक प्रथम पोत को छोड़कर शेष दो पोतों के लिए संस्थापन लंबित था। इसके परिणामस्वरूप, अंतरावर्ती अवधि में सभी तीन निर्माणाधीन पोतों के लिए निराद्रीकरण तथा शीतलन, आउटसोर्सिंग के द्वारा किया गया। एच वी ए सी प्रणाली के असंस्थापन ने पोतप्रांगण को मैसर्ज टेकनिकल ड्रॉइंग सर्विसेस (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई से निराद्रीकरण सह शीतलन सेवाएं किराए पर लेने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार, एच वी ए सी प्रणाली के संस्थापन में विलंब के कारण फर्म को निराद्रीकरण एवं शीतलन के लिए 4.15 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, जो परिहार्य था।

### **मामला III: एक विदेशी विक्रेता का खराब निष्पादन**

पी 15 क पोतों हेतु वातानुकूलन, उपकरण शीतलन और संवातन प्रणाली उपकरण के लिए आवश्यकता का विवरण (एस ओ आर) फरवरी 2004 में बनाया गया। अप्रैल 2004 में, भारतीय नौसेना ने पांच फर्मों का नामांकन किया, जिसमें दो विदेशी और तीन भारतीय फर्म शामिल थे। इन पांच फर्मों में से केवल दो फर्मों ने उत्तर दिया, अर्थात् मैसर्ज नॉस्की कैसर जी एम बी एच जर्मनी और मैसर्ज योर्क मेरिटाइम सिस्टम्स एस्सेक्स। अप्रैल 2005 में किए गए तकनीकी/ संविदागत वार्तालापों के पश्चात् सितंबर 2006 में मैसर्ज नॉस्की कैसर को 67.39 करोड़ रुपए का आदेश दिया गया (27.51 करोड़ रुपए, 19.89 करोड़ रुपए तथा 19.99 करोड़ रुपए) (1 यूरो=58.44 रुपए)।

यद्यपि फर्म ने ए टी यू, ए एफ यू और एच ई जैसे अधिकांश उपकरणों की आपूर्ति की, परंतु अनेक समस्याएँ उदाहरणार्थ, विभिन्न उपकरणों का आकार, अपूर्ण और अपर्याप्त प्रलेखन, अस्वीकार्य बड़े ऋमक एवं आर्द्रक, धूम्र निर्बाधन और शीतित जल व्यवस्था आरेख आदि, समाधान हेतु लंबित थीं। तथापि, इसी बीच अर्थात् अप्रैल 2009 में फर्म का दिवालियापन हो गया तथा अगस्त 2009 में पोतप्रांगण ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। पोतारोही प्रणालियों

के विलंबित चालूकरण से वज़न एवं लागत पर प्रभाव पड़ेगा और पोतप्रांगण को नौसेना प्रघात मानकों के अनुरूप प्रणाली का डिज़ाइन बनाने की निपुणता नहीं है।

#### **मामला IV: खराब आपूर्ति इतिहास के बावजूद एक विदेशी फर्म को आदेश दिया गया**

यद्यपि पी 28 पोतों के लिए एच वी ए सी प्रणाली की अधिप्राप्ति प्रक्रिया फरवरी 2005 में प्रारंभ हुई, परंतु यह आगे नहीं बढ़ पायी, क्योंकि पी 17 पोतों हेतु दरों के साथ तुलना में यह अनुमान उच्चतर पाया गया। तत्पश्चात् इस मामले पर कर्वाइ के लिए दो वर्ष का समय लगा और अगस्त 2007 में इस प्रणाली की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए मैसर्ज़ योर्क इंडिया का चयन किया गया। तदनुसार, सितंबर 2007 में, इस फर्म को 65 करोड़ रूपए की लागत पर चार पोत सेटों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश दिए गए।

इस तथ्य के बावजूद की पी 17 की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय मैसर्ज़ योर्क का निष्पादन खराब रहा, व्यावसायिक निदेशालय ने पी 28 पोतों के लिए उपस्कर की आपूर्ति करने हेतु उसी फर्म का नामांकन किया। पी 28 पोतों के लिए प्रणाली की सुपुर्दगी को लेकर अपनी वचनबद्धता निभाने में फर्म द्वारा की गई धीमी प्रगति से इस बात की परिपुष्टि हो जाती है। इस विलंब के कारण पहले ही प्रोजेक्ट 28 की अनुसूचित सुपुर्दगी में रूकावट आयी है, क्योंकि पोतप्रांगण को अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के साथ अग्रसर होने में कठिनाई हो रही है।

#### **मामला V: रूसी फर्म से 26.69<sup>5</sup> करोड़ रूपए की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का प्राप्त न होना**

प्रोजेक्ट 17 के लिए अनेक रूसी उपस्कर पोतप्रांगण में समय पर प्राप्त नहीं हुए। तदनुसार, रूसी फर्म से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए 5.93 मिलियन यू एस डालर (26.69<sup>6</sup> करोड़ रूपए) की राशि वसूली योग्य थी। तथापि, अब तक फर्म से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

#### **मामला VI: 3.98 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय**

एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अगस्त 2004 में, प्रोजेक्ट 15 के लिए आर ए डब्ल्यू एल 02 एम के III रेडार की आपूर्ति हेतु भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) को नामांकित किया। एम डी एल और बी ई एल के बीच जनवरी 2006 में हुई संविदा वार्तालाप समिति (सी एन सी) की बैठक के दौरान बी ई एल ने  $\pm 5$  प्रतिशत तक विनिमय दर परिवर्तन (ई आर वी) को वहन करने का प्रस्ताव किया। तथापि, जून 2006 को आयोजित मूल्य वार्तालाप समिति (पी एन सी) की बैठक के दौरान, एम डी एल ने प्रस्ताव किया कि चूंकि बी ई एल को 15 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जा रहा था, विनिमय दर परिवर्तन केवल आदेश के 85 प्रतिशत के लिए स्वीकार्य होगा, किंतु बी ई एल को केवल  $\pm 2$  प्रतिशत तक

<sup>5</sup> 1 यू एस डालर = 45 रूपए

<sup>6</sup> 1 यू एस डालर = 45 रूपए



विनिमय दर परिवर्तन को वहन करना होगा। जब बी ई एल ने विनिमय दर परिवर्तन संबंधी (+2 प्रतिशत) एम डी एल का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर उन्होंने जोर दिया कि विनिमय दर परिवर्तन आदेश मूल्य के 100 प्रतिशत के लिए लागू किया जाए। इसके कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ जिसका समाधान नहीं किया जा सका।

एम डी एल ने, अगस्त 2006 में, बी ई एल को 136.69 करोड़ रूपए और करों की कुल लागत पर आर ए डब्ल्यू एल 02 एम के III रेडार की आपूर्ति हेतु तीन आदेश दिए। संविदा की सामान्य शर्त थी कि विनिमय दर परिवर्तन का भुगतान वास्तविक परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा। इसके कारण बाद में आर ए डब्ल्यू एल 02 एम के III रेडार की अधिप्राप्ति में विनिमय दर परिवर्तन के कारण 3.98 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि भारतीय नौसेना इन वार्तालापों का हिस्सा थी और अतिरिक्त व्यय को अंत में उनके द्वारा ही वहन करना होगा, परंतु उनके द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिक हितकर शर्त और निबंधन स्वीकार किए गए परिणामस्वरूप, 3.98 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।



#### संस्तुतियां

- ✓ नौसेना को अपने विक्रेता बेस का विस्तार करने की आवश्यकता है तथा एक खुली पारदर्शी निविदाकरण प्रक्रिया के द्वारा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अधिक विक्रेताओं का नामांकन करना चाहिए।
- ✓ प्रतियोगी मूल्य और मूल्य निर्धारण में थोक/भारी छूट का लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्टों हेतु समान उपस्करों की अधिप्राप्ति थोक परिमाण में की जानी चाहिए।